BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

(2021-2022)

S.N.1295./Admn./Guest Faculty/2021 Bhopal , Date 27/8./2021

:: EMPANELMENT OF CANDIDATE FOR GUEST FACULTY ::

Applications on prescribed form are invited from suitable candidates for **Empanelment of Guest Faculties in** the various teaching departments. The candidates should be well familiar with online teaching on various web platforms. The university reserves the right to engage or not to engage the candidates enlisted in the panel subject to the requirement of the departments. Complete application along with relevant documents should be submitted to the respective Head of the Department latest by 6/9/2021 For prescribed form and other details please visit the university website: www.bubhopal.ac.in

Registrar

Barkatullah University, Bhopal

BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

Hoshangabad Road, Bhopal

Empanelment of Candidates for Guest faculty

1. **Department:** ____________________
2. **Name (Block Letters) :**____________________
3. **Father's/Husband's/Wife's Name:** ____________________
4. **Address for Communication:**____________________
5. **(a) Date of Birth:** **(b) Marital Status**
6. **(a) Gender: Male/Female** **(b). Category: SC/ST/OBC//PH/GEN**
7. **(a). E-mail** **(b) Mobile No.**
8. **Natinality:**
9. **Educational Qualifications (Submit self attested copies of documents along with application):**

Examination	Name of Board /University	Year of Passing	Percentage of Marks/GPA	Division/Grade

10. **Teaching Experience (if any) ..**____________________
    (a). On line teaching experience Yes/No____________________
    (b). Computer Knowledge (Ms office/Coral etc,)____________________
    (d). Submit a ppt of a lecture on any relevant topic____________________

11. **Research Experience and Publications**

Name and Signature of the Candidate

BARKATULLAH UNIVERSIT, BHOPAL

The Following departments require guest faculty for the session 2021-22

S.N.	Name of department	Subject
1.	Biochemistry & Genetics	Biochemistry, Genetics
2.	Bioscience	Bioscience, Zoology, Botany
3.	Microbiology	Microbiology, Botany, Agronomy
4.	Biotechnology	Biotechnology
5.	Limnology & Environmental Science	Limnology & Environmental Science
6.	Zoology and Applied Aquaculture	Zoology and Applied Aquaculture
7.	Earth Science	Geology /Applied Geology
8.	Physics	Physics
9.	Computer Science	Computer Science
10.	Electronics	Electronics
11.	Comparative Language and Culture	Sanskrit, Linguistics, Hindi, English and Urdu
12.	Persian	Persian
13.	Arabic	Arabic
14.	Commerce	Commerce
15.	Regional Planning and Economic Growth	Economics, Geography, History
16.	Psychology	Psychology
17.	Sociology & Social work	Sociology, Political Science
18.	Women's Study	Women's study
19.	Law	Law, Pol. Science, Economics, Sociology, Hindi, English
20.	Continuing Education and Extension	Education
21.	Yoga	Yoga
22.	Physical Education	Physical Education
23.	CRIM	Management
24.	Pharmacy	Pharmacy
25.	**Engineering (BUIT)**	
	Computer Science Engineering	Electronics&Communication Engineering,
	Electronics& Communication Engineering	Computer Science Engineering
	Mechanical Engineering	Mechanical Engineering,
	IT	IT,
	Civil Engineering	Civil Engineering,
	Electrical Engineering	Electrical Engineering,
	Computer Application,	Computer Application,
	Physics, Nano Technology,	Physics, Nano Technology,
	Chemistry	Chemistry
	Mathematics	Mathematics

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

अतिथि विद्वान/आमंत्रित विद्वान विशिष्ट विद्वानों के चयन/पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता आदि के निर्धारण हेतु प्रस्तावित विनियम/दिशा–निर्देश (वर्ष 2021–22)

(I) अतिथि विद्वान

1. सामान्य

1.1 विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन हेतु निर्धारित वर्कलोड के अनुसार अतिथि विद्वान की व्यवस्था की जाएगी।

1.2 अतिथि विद्वान के रूप में आमंत्रित करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि उनके विरूद्व पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचारधीन नही है इसके लिये संबंधित अतिथि विद्वान को इस आशय का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा ।

1.3 यदि कोई अतिथि विद्वान को इम्पैनेलमेंन्ट किया जाता है एवं वह कहीं कार्यरत है, तो उसे एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.4 अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालय की स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगे ।

2. पैनल बनाने की प्रकिया

2.1 अतिथि विद्वान के पैनल का निर्माण विज्ञापन के आधार पर किया जाएगा विज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि विज्ञापन अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभयार्थियों का पैनल तैयार करने के लिये है न कि नियुक्ति के लिये । प्रत्येक अकादमिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार समाचार पत्र में तथा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा ।

2.2 अकादमिक सत्र के मध्य में पुनः आवश्यकता होने पर प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय की वेबसाईट तथा संबंधित विभाग के सूचना पटल पर विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है ।

2.3 विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि पैनल में शामिल अभ्यार्थियों को अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने के लिये किसी प्रकार का अवसर दे अथवा न दे ।

2.4 विज्ञापन के पश्चात अभ्यर्थी संबंधित विभागाध्यक्ष/निदेशक/पाठ्यकम समन्वयक के पास अपना आवेदन समस्त आवश्यक अंकसूचियां एवं प्रमाणपत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ अंतिम तिथि तक जमा करेंगे । अंतिम तिथि के प्श्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जाएगा ।

2.5 एक से अधिक विषयों पर पात्रता रखने वाले अभ्यार्थियों को अलग–अलग विषय हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

2.6 पैनल पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये तैयार किया जायेगा । विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त आगे की कार्यवाही करना या नही करना, विश्वविद्यालय को अधिकारी होगा ओर इसके लिये किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नही होगा ।

निरंतर....2....

3. समिति

3.1 प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी का कार्य संबंधित विभागाध्यक्ष विभाग/संकाय/विश्वविद्यालय के दो अन्य शिक्षकों के सहयोग से करेंगे । इस हेतु समिति के गठन की पूर्वानुमति कुलपतिजी से प्राप्त करनी होगी ।

3.2 पैनल तैयार करने के लिये समिति का गठन निम्नानुसार होगा :-

(1)	विभागाध्यक्ष/निर्देशक/समन्वयक	-	अध्यक्ष
(2)	संकायध्याक्ष	-	सदस्य
(3)	विभाग/संकाय/वि.वि. का एक शिक्षक	-	सदस्य (कुलपतिजी द्वारा नामित)

4. अर्हता के मापदण्ड

4.1 यू.जी.सी द्वारा अधिसूचित नियमानुसार पीएच.डी. उपाधी मान्य होगी।

4.2 पैनल बनाने की प्रकिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी वरीयता निम्नानुसार रहेगा ।

(1) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर न्यूनतम 55% अंक के साथ एवं पीएच.डी. के साथ नेट या सेट उत्तीर्ण ।

(2) संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा पीएच.डी।

(3) संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा नेट/स्लेट/गेट उपाधि ।

4.3 अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवं विभेदक रूप से सक्षम (Differently Abled) शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) अभ्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दी जावेगी ।

4.4 पीएच.डी उपाधि धारक अभ्यार्थी जिन्होने 19 सितम्बर 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की हो,के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत के अंक होने चाहिए ।

4.5 दिनांक 11.07.2009 के पश्चात दूरस्थ माध्यम से अर्जित पीएच.डी एवं एम.फिल की उपाधि मान्य नही होगी ।

4.6 बी.यू.आई.टी, सी.आर.आई.एम. फार्मेसी, विधि शिक्षण आदि विभागों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु योग्यता निर्धारण/वरियताकम संबंधित नियामक आयोगों के मापदण्डों के अनुसार होगा ।

4.7 आनलाइन कक्षा संचालित करने की जानकारी होनी चाहिए।

4.8 ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा कक्षा की लिंक विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे एवं पीपीटी के द्वारा कक्षा लेंगे। इन पीपीटी को विभागाध्यक्ष को भेजना अनिवार्य है।

5. मानदेय

5.1 कार्यालयीन आदेश 1936/प्रशा/2019 दिनांक 16/10/2019 के अनुसार अतिथि विद्वान को प्रति कालखण्ड रूपये 500/- देय होंगे।

निरंतर....3....

5.2 किसी अतिथि विद्वान को एक कार्य दिवस में अधिकतम तीन कालखण्ड दिये जा सकते है। परन्तु एक माह में कुल मानदेय रू0 25,000/- से अधिक नही होगा, जबकि बी. यू.आई.टी., सी.आर.आई.एम., फार्मेसी एवं विधि इत्यादि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये मानदेय की अधिकतम सीमा रू0 30,000/- प्रति माह होगी ।

5.3 मानदेय की राशि एवं अधिकतम सीमा वि.वि. द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित दर के अनुसार लागू होगी ।

5.4 इम्पैनेल्ड अतिथि विद्वान, विभागाध्यक्ष के माध्यम से ही यह अपनी समस्याओं के बारे में उच्च अधिकारियों से सम्पर्क कर सकेंगे।

6. <u>निरन्तरता</u>

6.1 अगले सत्र में पैनल तैयार किये जाने तक विभागाध्यक्ष/निर्देशक /समन्वयक चाहे तो कुलपतिजी से अनुमोदनोरान्त पूर्व पैनल को निरन्तर रख सकते है ।

(II) <u>आमंत्रित विद्वान</u>

1 विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर एवं एम.फिल पाठ्यक्रमों के साथ 'शोध कार्य भी संचालित है। अतः विषय के विशिष्टीकरण (Specialization) के आधार पर विभागाध्यक्ष/निर्देशक/समनव्यक आवश्यकतानुसार कुलपतिजी के अनुमोनोपरान्त पेशेवर/शैक्षणिक/शोध संस्थाओं में कार्यरत विद्वान/शिक्षकों/वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों अथवा सेवानिवृत्त शिक्षकों/विशेषज्ञों को आमंत्रित विद्वान के रूप में विभाग में व्याख्यान के लिये आमंत्रित कर सकेगें ।

2. आमंत्रित विद्वानों/शिक्षकों/विशेषज्ञों को प्रति व्याख्यान हेतु रू0 1000/- मानदेय देय होगा, साथ ही नियमानुसार यात्रा भत्ता भी देय होगी।

3. मानदेय की राशि एवं अधिकतम सीमा वि.वि. द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित दर के अनुसार लागू होगी।

III <u>विशिष्ट विद्वान</u>

1. छात्र, विश्वविद्यालय, एवं 'समाज' - तीनों को जोड़ते हुए विश्वविद्यालय द्वारा व्यापक स्तर पर विशिष्ट व्याख्यानों का समय- समय पर आयोजन किया जायेगा, जिसकी व्यवस्था संबंधित संकायाध्यक्ष करेंगे। विद्वानों एवं विषयों का चयन कुलपतिजी से परामर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त ही किया जायेगा।

2. विशिष्ट व्याख्यान के लिये आमंत्रित किये जाने वाले विशिष्ट विद्वान को प्रति व्याख्यान हेतु रू0 5000/- मानदेय देय होगा।

3. आमंत्रित किये जाने वाले विशिष्ट विद्वानों को विश्वविद्यालय अतिथि माना जाएगा तथा उनकी यात्रा भत्ता एवं स्थानीय आतिथ्य विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

4. मानदेय की राशि वि.वि. द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित दर के अनुसार लागू होगी।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल